

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिवीजन वाद संख्या - 44/2023

दीपक कुमार बनाम् भानो देवी वगै०

आदेश की क्रम  
संख्या  
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख

26/09/2023

26/10/2023

यह वाद अपीलार्थी दीपक कुमार, पिता-रामानन्द महतो, ग्राम-छत्तरमाण्डू, पो०-छत्तरमाण्डू, थाना-रामगढ़, जिला-रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ का न्यायालय में दायर दाखिल खारिज (ऑनलाईन) अपील वाद संख्या-112/2021-22 भानो देवी बनाम् दीपक कुमार वगै० में दिनांक-24.04.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध U/S - 16 of Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act-1973 के तहत प्रारम्भ किया गया। वाद को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा-छत्तरमाण्डू थाना सं०-116 थाना-रामगढ़ के खाता नं०-12 प्लॉट नं०-272, कुल रकवा-0.0554 ए० भूमि से संबंधित है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं, सरकारी अधिवक्ता को सुना, समर्पित आवेदन/कारण पृच्छा, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, कारण पृच्छा एवं कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा-छत्तरमाण्डू थाना सं०-116 थाना-रामगढ़ के खाता नं०-12 प्लॉट नं०-272, कुल रकवा-0.0554 ए० भूमि सर्वे खतियान में कान्हू महतो वो नान्हू महतो वो पन्नू महतो के नाम से रैयती दर्ज है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा-छत्तरमाण्डू थाना सं०-116 थाना-रामगढ़ के खाता नं०-12 प्लॉट नं०-272, कुल रकवा-0.0554 ए० भूमि सर्वे खतियान में कान्हू महतो के नाम से रैयती दर्ज है। गणेश महतो जो खतियानी रैयत के वारिशान है ने अपने हिस्से से अधिक की भूमि बिक्री कर दिए है। जब उनके हिस्से में भूमि शेष नहीं बचता है तो उनकी पुत्री भानो देवी के हिस्से में भूमि कैसे आ सकती है। गणेश महतो के अपने हिस्से की भूमि बिक्री के उपरांत शेष हिस्सेदारों ने बँटवारा कर अंचल अधिकारी, रामगढ़ के कार्यालय में दाखिल खारिज करने हेतु आवेदन दिये जिसका वाद संख्या-1090-R27/2021-22 है। उक्त वाद को अंचल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा दाखिल खारिज स्वीकृत किया गया। उक्त दाखिल खारिज के विरुद्ध विपक्षी के द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता,

15

रामगढ़ के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-112/2021-22 दायर किया गया है। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ ने बिना किसी fact के दाखिल खारिज अपील स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, रामगढ़ के दाखिल खारिज वाद संख्या-1090/2021-22 में दिनांक-28.12.2021 को पारित आदेश को निरस्त किया गया जो नियमसंगत नहीं है। उन्होंने रिवीजन आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि मौजा-छत्तरमाण्डू थाना सं०-116 थाना-रामगढ़ के खाता नं०-12 प्लॉट नं०-272, कुल रकवा-0.0554 ए० भूमि से संबंधित है। जो खतियान में कान्हु महतो वो नान्हु महतो वो पन्नु महतो के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत नान्हु महतो एवं पन्नु महतो नावलद फौत कर गए जिससे पुरी भूमि के एक मात्र स्वामी कान्हु महतो हुए। कान्हु महतो के पाँच पुत्र हुए बोधन महतो, जोधा महतो, ठाकुर महतो, गौरी महतो एवं गणेश महतो। कान्हु महतो के पाँचों पुत्रों के द्वारा आपसी बँटवारा कर खाता सं०-12 प्लॉट नं०-272 रकवा-83 डी० में प्रत्येक का हिस्सा 16.6 डी० हुआ। लेकिन रिवीजनकर्ता के द्वारा गणेश महतो का हिस्सा भी अपने हिस्से में शामिल कर आपस में बँटवारा कर अंचल अधिकारी, रामगढ़ से दाखिल खारिज करवा लिए। गणेश महतो का कोई पुत्र नहीं था उनकी पाँच पुत्री रेशमी देवी, नुनिया देवी, दनवा देवी, भानो देवी एवं आनो देवी हैं। गणेश महतो भानो देवी (विपक्षी) को विवाह के पश्चात अपने देख-भाल के लिए रख लिए जिसके कारण भानो देवी अपने पिता के सभी चल एवं अचल भूमि की स्वामिनी हुई। उन्होंने आगे कहा है कि रिवीजनकर्ता का कहना है कि गणेश महतो ने गोला में निबंधित केवाला संख्या-3879, दिनांक-22.04.1965 के द्वारा खाता सं०-12 प्लॉट सं०-272 में अपने हिस्से का 16.6 डी० भूमि सुखदेव महतो, बुधन महतो पिता-गौरी महतो के पास बिक्री कर दिया है। लेकिन जब उक्त केवाला की सत्यता की जाँच निबंधित कार्यालय से कराया गया तो दिनांक-22.04.1965 को निष्पादित केवाला संख्या-3879 के निष्पादक मोहन पोदार, पिता-स्व० जागो पोदार, ग्राम-जमकुदर, थाना-पेटरवार, जिला-हजारीबाग लेख्यधारी अखय महतो पिता-स्व० अकलु महतो ग्राम-जमकुदर, खाता सं०-17 प्लॉट नं०-419 रकवा-03 डी० भूमि है। अर्थात् बिक्रेता गणेश महतो क्रेता सुखदेव महतो, बुधन महतो नहीं है उक्त केवाला का सत्यापन निबंधन कार्यालय हजारीबाग से भी कराया गया, जिसमें केवाला संख्या-3879 दिनांक-22.04.1965 में बिक्रेता सोहर गोप वगै० एवं क्रेता तिलक कुम्हार ग्राम-रतीलमार, थाना-कोडरमा, जिला-हजारीबाग है। इस प्रकार भानो देवी की पिता द्वारा भूमि बिक्री करने का दावा किया जा रहा है वह गलत है। इससे यह भी स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा रिवीजनकर्ता द्वारा प्रस्तुत बँटवारानामा के सत्यता का जाँच किये बिना दाखिल खारिज का आदेश पारित किया गया

है उनके द्वारा भूमि पर दखल कब्जा का भी सत्यापन नहीं किया गया है। उन्होंने निम्न न्यायालय द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-112/2021-22 में दिनांक-24.04.2023 को पारित आदेश को बहाल रखने का अनुरोध किया है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि चूंकि विपक्षी के पिता के द्वारा भूमि बिक्री ही नहीं की गई है तो रिवीजनकर्ता के द्वारा उनके हिस्से की भूमि को अपने नाम से दाखिल खारिज कैसे करवा लिए है अर्थात् भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश नियमसंगत है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य के आलोक में स्पष्ट है कि मौजा-छत्तरमाण्डू थाना सं०-116 थाना-रामगढ़ के खाता नं०-12 प्लॉट नं०-272, कुल रकवा-0.0554 ए० भूमि सर्वे खतियान में कान्हू महतो वो नान्हू महतो वो पन्नू महतो के नाम से रैयती दर्ज है। रिवीजनकर्ता का कहना है कि उक्त भूमि उन्हें आपसी बँटवारा से प्राप्त है। उनका यह भी कहना है कि चूंकि विपक्षी के पिता के द्वारा अपनी हिस्से की भूमि बिक्री की गई है इसलिए विपक्षी का उक्त भूमि पर हिस्सा नहीं बनता है लेकिन रिवीजनकर्ता के द्वारा विपक्षी के पिता द्वारा बिक्री की गई भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का दस्तावेज या साक्ष्य उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे हैं। विपक्षी का कहना है कि रिवीजनकर्ता का यह कहना कि जो निबंधित केवाला संख्या-3879, दिनांक-24.04.1965 से भूमि हस्तांतरित की गई है, सत्यापन कराने पर असत्य पाया गया है। अर्थात् विपक्षी के पिता द्वारा केवाला संख्या-3879, दिनांक-22.04.1965 से मौजा-छत्तरमाण्डू थाना सं०-116 थाना-रामगढ़ के खाता नं०-12 प्लॉट नं०-272, रकवा-0.1660 ए० भूमि की बिक्री करने संबंधी दस्तावेज/साक्ष्य रिवीजनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराने में विफल रहें।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा दाखिल खारिज (ऑनलाईन) अपील वाद संख्या-112/2021-22 भानो देवी बनाम दीपक कुमार वगै० में दिनांक-24.04.2023 को पारित आदेश को यथावत् रखते हुए रिवीजन आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

*Chanday*  
26/10/23  
उपायुक्त,  
रामगढ़।

*Chanday*  
26/10/23  
उपायुक्त,  
रामगढ़।